R.M.M. Law - College
5918 9959
Amrendra Kumar Trivedi
part. Time Law Teacher
Subject. Evidence

प्रश्न 9.

न्यायालय अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकता

यह धारा साक्षी को द्वेषपूर्ण घोषित करने के विषय में कुछ नहीं कहती बल्कि इतना कहती है कि न्यायालय की अनुमति से कोई पक्षकार अपने साक्षी से वे प्रश्न पूछ सकता है जो विरोधी पक्ष द्वारा उससे प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते है अतः यह धारा यह अपेक्षा नहीं करती कि इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व साक्षी को द्वेषपूर्ण घोषित किया जाये। यह धारा न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है, जिसके अनुसार न्यायालय अपने विवेक का अनुसार प्रयोग करे जो न्यायिक नियम के अनुकूल हो।

विवेकाधिकार के प्रयोग के लिये पर्याप्त आधार होना चाहिए जिन कारणों पर अनुज्ञा दी जाय उनको व्यक्त कर देना चाहिए क्योंकि जब एक पक्षकार किसी गवाह को पेश करता है तो वह उसको विश्वास के योग्य मानता है, अतः अपने गवाह की विश्वसनीयता की जाँच करने का और उसकी सत्यवादिता का अधिक्षेप करने का अधिकार नहीं होता।

Scanned with CamScanner

(2)

न्यायालय, साक्षी की परीक्षा के किसी भी प्रक्रम पर उसको बुलाने वाले पक्षकार को अनुज्ञा दे सकता है वह उससे वे प्रश्न पूछ सकता है।

जिस साक्षी की प्रतिपरीक्षा उसको बुलाने वाले पक्षकार से की जाती है उसके साक्ष्य का मूल्य पहले के कुछ निर्णयों में यह विचार व्यक्त किये गये थे यदि किसी पक्षकार को अपने साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उसका समस्त साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किन्तु बाद के निर्णयों ने इस मत का खण्डन किया है उसे आधारहीन घोषित किया है इन निर्णयों के अनुसार यदि पक्षकार को एक अवसर अपने साक्षी की सत्यवादिता को परखने को मिल जाता है और उसके साक्ष्य के मूल्य की परख उसके कथन से की जायगी जो प्रतिपरीक्षा में करता है।

प्रतिपरीक्षा एक पक्षकार का गवाह प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्ष के प्रति पक्षपात दर्शित करता है अपने बुलाने वाला पक्षकार के विरुद्ध कुछ कथन करता है। न्यायालय अपने विवेक में उस पक्षकार को यह अनुज्ञा दे सकता है